न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0) सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs. 20/—

श्री राकेश तिवारी एड द्वारा आज दिनांक 14-08-2014 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

R. 2894-II/14

477
14.8.14

बंशपती प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 श्री बलदेव प्रसाद पाण्डेय उम्र 73 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम नकझरकला थाना व तहसील बहरी जिला सीधी (म0प्र0)

—————— पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

1. इन्द्रपति जोगी तनय स्व0 श्री शिवदास जोगी उम्र 60 वर्ष
2. ऊधव नाथ जोगी तनय स्व0 श्री शिवदास जोगी उम्र 47 वर्ष
   दोनों निवासी ग्राम मुर्तिहा थाना व तहसील बहरी जिला सीधी (म0प्र0)
3. श्रीमती रामकली पुत्री स्व0 श्री शिवदास जोगी पत्नी श्री पाल जोगी निवासी ग्राम खड़ौरा तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

—————— उत्तरवादीगण

4. मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक 2960
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 25-8-14 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0 1164/अपील/10—11 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2013

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण के निम्नांकित आधार है :—

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2894/II/14 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.2.16	प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के ग्राह्यता पर तर्क सुने गए, तथा उनके प्रकाश में अभिलेख का परिशीलन किया गया। आवेदक अधिवक्ता ने मेमो के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया। अतः, उनका पक्ष मेमो के आधार पर विचार में लिया जा रहा और बिन्दुओं की पुनरावृत्ति नहीं की जा रही। अनावेदक अधिवक्ता ने तर्क किया कि आक्षेपित आदेश दि. 19.12.13 की नकल हेतु आवेदन आवेदक द्वारा दि. 13.2.14 को लगाया गया, नकल 22.2.14 को तैयार हो गई, किन्तु, आवेदक ने उसके भी लगभग 6 माह बाद नकल दि. 14.8.14 को प्राप्त की और दि. 23.8.14 को रा. मं. में निगरानी लगाई। साथ में धारा-5 का कोई आवेदन भी नहीं दिया। अतः, विलम्ब के आधार पर निगरानी खारिज की जाए। मस्ती के परिशीलन से अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में उठाए गए समस्त बिन्दु स्पष्टतः सिद्ध होते	

[कृ. प. उ.

R-2894-II/04 सीकर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है। आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति में लगी मोहर और मेमो पर लगी मोहर से ये सभी दिनांकें और विलम्ब की स्थिति स्पष्ट एवं सिद्ध है। आवेदक की ओर से विलम्ब की माफी हेतु धारा 5 का आवेदन भी नहीं दिया गया है, ना ही विलम्ब के कोई समाधानकारक कारण प्रस्तुत किए गए हैं। अतः, यह निगरानी अवधिबाह्य होने के कारण अग्राह्य कर खारिज की जाती है। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। 10.2.16 (सदस्य)	